

संख्या- 1935 / 111(2) / 15-03(गुमं०ध००) / 2015

प्रेषक

अश्विन् सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 26 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग को अन्तर्गत विभिन्न 14 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय राशा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 14 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 59.00 किमी० + 02 सेतु पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 801.88 लाख (रु० छः करोड़ एक लाख अन्नात्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्नक के कॉलम रा०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 14 कार्यों हेतु ₹ 1.40 लाख (रु० एक लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 बृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

दाता अति उत्प्रेमिता

सहायक अभियन्ता-1
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय रांगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निश्चय समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिचय-04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-959/XXVII(2)/2014 दि०-24 मार्च, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:-1935 / 111(2)/15-03(मु०म०घ०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

दाता उत्ति ह्यांकी
सहायक अभियन्ता-1
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

-4-

शारानादेश संख्या-1935 / 111(2)/15-03(मु0म0घ00)/2015 दिनांक 26 मार्च, 2015 का संलग्न

9	गा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 811/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नैनी से ग्राम क्वैराली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	30.98	0.10
10	गा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 705/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में नौगांव से सेलाकोट, काने, रिखाड़ व महरगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण + 24मी0 स्थान स्टील गार्डर पुल सहित।	16.00 + 24 mtr	126.29	0.10
11	गा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 230/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-रानीखेत में चमनपुरी- कारचूली मोटर मार्ग के फलनासीमा स्थान से रिखौली ग्राम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	18.43	0.10
12	गा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 217/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-रानीखेत में सौंगढ़ पन्तगांव शैलापानी मोटर मार्ग में धौली से चमड़खान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	17.33	0.10
13	गा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 223/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-रानीखेत में रानीखेत-जालली मासी मोटर मार्ग में पनघटर से ग्राम गुलोली होते हुए अभ्याड़ी की ओर लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	2.00	18.43	0.10
14	गा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 235/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-रानीखेत में ग्राम सिंगोली से शीठा महादेव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	43.31	0.10
	योग:-	59.00 + 02 Brg	601.69	1.40

दाया 521 सत्यपति
सहायक अभियन्ता I
निर्माण खण्ड, ली०नि०वि०
रानीखेत

(कुल ₹ एक लाख चालीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव